राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 18870/2013

1. डॉ. वी. के. जैन, प्रोप्राइटर श्री के.एम.एम. जैन हार्ट एंड जनरल हॉस्पिटल, मारू मंदिर के सामने, स्टेशन रोड, सीकर, राजस्थान।

2. डॉ. अर्चना जैन पत्नी डॉ. वी.के. जैन, प्रोप्राइटर श्री के.एम.एम. जैन हार्ट एंड जनरल हॉस्पिटल, मारू मंदिर के सामने, स्टेशन रोड, सीकर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ जरिये राजस्व सचिव, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
2. आयकर आयुक्त (केंद्रीय), द्वितीय तल, नया केंद्रीय राजस्व भवन (एनेक्सी), स्टेच्यू सर्किल, सी स्कीम, जयपुर – 302005

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता (ओं) की ओर से : श्री आलोक कुमार बाकलीवाल

उत्तरदाता (ओं) की ओर से : श्री संदीप पाठक

माननीय श्रीमान. जस्टिस अवनीश झिंगन

माननीय श्रीमती. जस्टिस शुभा मेहता

आदेश

31/01/2025

अवनीश झिंगन, जे:-

1. यह याचिका आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132-बी(4) के तहत ब्याज की मांग और आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), जयपुर (संक्षेप में, "सीआईटी") द्वारा पारित दिनांक 13.12.2012 के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है।

2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ताओं के अस्पताल और परिसर में तलाशी ली गई और अन्य वस्तुओं के अलावा नकदी भी जब्त की गई। तलाशी के अनुसरण में शुरू की गई कार्यवाही याचिकाकर्ता संख्या 1 के मामले में निपटान आयोग के आदेश के साथ समाप्त हुई। याचिकाकर्ता संख्या 2 के मामले में धारा 153-डी के तहत संयुक्त आयकर आयुक्त से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, धारा 143(3) के तहत मूल्यांकन तैयार किया गया। विलंबित धन वापसी पर ब्याज के लिए याचिकाकर्ता के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि निपटान आयोग द्वारा पारित आदेश धारा 132 बी(4) के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते हैं।

3. इस स्तर पर याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, याचिकाकर्ता संख्या 1 के रूप में वर्तमान याचिका को वापस लेने की अनुमति चाहते हैं, साथ ही बेहतर विवरण के साथ नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता भी चाहते हैं। याचिकाकर्ता संख्या 2 के संदर्भ में, तर्क यह है कि याचिकाकर्ता संख्या 2 का कर निर्धारण आदेश धारा 153-ए के अंतर्गत था, क्योंकि यह आदेश धारा 153-डी के अंतर्गत संयुक्त आयुक्त से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद पारित किया गया था।

4. उठाई गई शिकायत यह है कि सीआईटी ने याचिकाकर्ता संख्या 2 के मामले पर उसके अपने तथ्यों के आधार पर विचार नहीं किया है।

5. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने विवादित आदेश का बचाव किया है और प्रस्तुत किया है कि दोनों याचिकाकर्ताओं के लिए समान प्रतिनिधित्व दिया गया था और तदनुसार विचार किया गया था।

6. याचिकाकर्ता संख्या 1 को याचिका वापस लेने की मांगी गई स्वतंत्रता, जैसा कि प्रार्थना की गई थी, दी जाती है।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और दलीलों का अवलोकन करने के पश्चात्, यह निष्कर्ष निकलता है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 का मामला समान नहीं है। याचिकाकर्ता संख्या 1 का मामला निपटान आयोग द्वारा निपटाया गया था, जबकि याचिकाकर्ता संख्या 2 के मामले में कर निर्धारण आदेश पारित किया गया था। सीआईटी ने यह नहीं माना है कि दोनों मामलों में ब्याज का दावा अलग-अलग आधार पर है। याचिकाकर्ता संख्या 1 के संबंध में ब्याज के दावे को खारिज करने के लिए दर्ज किए गए कारण याचिकाकर्ता संख्या 2 के मामले पर लागू नहीं होंगे।

8. याचिकाकर्ता संख्या 2 के संबंध में आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है और मामले को सीआईटी को वापस भेज दिया जाता है ताकि वह याचिकाकर्ता

संख्या 2 के दावे पर सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, कानून के अनुसार नए सिरे से निर्णय ले सके।

9. रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

(शुभा मेहता), जे (अवनीश झिंगन), जे

चंदन-दक्ष/38

रिपोर्ट करने योग्य: हाँ

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाशा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra

Tarun Mehra

Advocate